



क्रं. 321 /स्था./अतिथि व्याख्याता/2023

उत्तई, दिनांक : 10/8/23

अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन व्यवस्था हेतु सूचना

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर का पत्र एफ 3-54/2020/38-1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07.07.2023 एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्र./504/126/आउशि/राज.स्था./2023 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 10.07.2023 के तहत हिन्दी में 01 रिक्त पद के विरुद्ध अध्यापन कार्य हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। महाविद्यालय का पत्र क्र. 220/स्था./अतिथि व्याख्याता/2023 उत्तई, दिनांक 13.07.2023, जिसकी अंतिम तिथि 22.07.2023, समय शाम 5:00 बजे थी, को देखकर जिन्होंने पूर्व में आवेदन दिया है, उन्हें पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है, उनके आवेदनों पर विचार किया जाएगा। नवीन आवेदन की अंतिम तिथि 14.08.2023, अपराह्न 5:00 बजे तक होगी। आवेदन पत्र कार्यालयीन समय पर डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर महाविद्यालय में जमा किये जा सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्रमांक	विषय	संख्या
01	हिन्दी	01

शैक्षणिक अर्हताएँ -

स्नातकोत्तर स्तर पर संबंधित विषय में 55% प्राप्तांक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 50% प्राप्तांक) होना आवश्यक है। पी-एच.डी. नेट एवं स्लेट, एम.फिल उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियमानुसार प्राथमिकता दी जावेगी। आवेदकों का चयन उनके प्राप्तांकों के गुणानुक्रम तथा देय अधिभार के आधार पर मेरिट से किया जायेगा।

मानदेय एवं शर्तें-

- अतिथि व्याख्याता के रूप में आपको प्रति व्याख्यान रु. 300/- (अक्षरी तीन सौ रु.) अधिकतम प्रतिदिन 04 व्याख्यान, इस प्रकार अधिकतम प्रतिदिन रु. 1200/- (अक्षरी बारह सौ रु.) तथा अधिकतम प्रतिमाह 31200/- (अक्षरी इक्तीस हजार दो सौ रुपये मात्र) सीलिंग के अधीन मानदेय देय होगा।
- इस प्रयोजन हेतु कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएँ भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
- पदों की संख्या आवश्यकतानुसार अधिक एवं कम की जा सकती है।
- यह एक वैकल्पिक एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था है। शासन द्वारा नियमित नियुक्ति/स्थानांतरण से उक्त पदों पर प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने/बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थिति/ अनुशासनहीनता/कार्य संतोषजनक न होने अथवा महाविद्यालय में आवश्यकता नहीं होने पर इस व्यवस्था को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- आवेदन पत्र में पत्र क्रमांक तथा दिनांक का संदर्भ देना अनिवार्य है। समस्त व्यक्तिगत जानकारी के अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी प्रपत्रों की सत्यापित फोटो प्रति सहित वांछनीय है।
- चयनित व्यक्ति को अध्यापन कार्य प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार करना होगा।
- इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही आवेदक किसी अन्य शास./अर्धशास. सेवा में कार्यरत नहीं है। आवेदक अपना मोबाइल नं० आवेदन फॉर्म में अवश्य लिखें।

डॉ. श्रीमती मधुलिका रॉय
सूक्ष्म जाँच समिति
प्रभारी

(डॉ. राजेश पांडे)
प्राचार्य

शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, उत्तई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उत्तई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

पृ०क्रं. 322 / स्था./ अतिथि व्याख्याता/ 2023

उत्तई, दिनांक 10/8/23

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, शासकीय..... महाविद्यालय छत्तीसगढ़ को अपने सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।
2. स्थानीय संस्थाओं के सूचना पटल पर
3. महाविद्यालय स्थापना, लेखाशाखा को सूचनार्थ।
4. विभागाध्यक्ष महाविद्यालय उत्तई, दुर्ग (छ.ग.)

(डॉ. राजेश पांडे)

प्राचार्य

शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, उत्तई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

प्राचार्य

दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उत्तई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)